न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 24 / 2021

1 किरण पुत्री गणपत।
2 सरोज पुत्री गणपत।
3 पिंकी पुत्री गणपत समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण आसलवास तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भरत कंवर दत्तक पुत्री गणपत।
2 बदामा बेवा गणपत।
3 बबीता पत्नी सांवरमल।
4 नन्दलाल पुत्र मूला।
5 राजकुमार पुत्र मूला।
6 गीता देवी पत्नी मूला।
7 बजरंग पुत्र रामेश्वर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण आसलवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलोदा जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलोदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ उनवानी
भरत कंवर बनाम किरण आदि मुकदमा नम्बर 35/17
दावा बाबत घोषणात्मक दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री पारस सैन, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.5.24 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 35/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने वसीयत के आधार पर तहसील सूरजगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 491, 492, 493, 494 वाके मौजा आसलवास के संदर्भ में घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने मुकदमा संख्या 35/2017 का निर्णय लोक अदालत कैम्प में पारित किया है दिनांक 19.05.2017 की आदेशिका का अवलोकन किया जाये तो प्रतिवादी नं. 10 बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सम्बंधित अधिवक्ता की उपस्थिति के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.03.2017 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

वाद प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.05.2017 को विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार सम्यक तामील करवाये बिना, तनकी कायम किये बिना, वादी की साक्ष्य लिये बिना, दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर वसीयत के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील बिना सक्षम आदेश के चस्पान्दगी से दर्शाई हुई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मुकदमा संख्या 35/2017 का निर्णय लोक अदालत कैम्प में पारित किया है दिनांक 19.05.2017 की आदेशिका का अवलोकन किया जाये तो प्रतिवादी नं. 10 बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सम्बंधित अधिवक्ता की उपस्थिति के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.03.2017 को वाद प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.05.2017 को विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर प्रकरण में विधिक प्रकिया के अनुसार सम्यक तामील करवाये बिना, तनकी कायम किये बिना, वादी की साक्ष्य लिये बिना, दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर